

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11072020-220482
SG-DL-E-11072020-220482

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2020/आषाढ़ 19, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 62
No. 126]	DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2020/ASHADHA 19, 1942	[N.C.T.D. No. 62

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

xg ¼ify l&2½ foHkx

vf/k l puk

दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

सं. फा./2/1/88/गृह पुलिस-2/खण्ड-1/2383-2386.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19/07/2020 to 18/10/2020 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर]

एल. के. गौतम, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th July, 2020

No. F.2/1/88-HP-II/Pt.-I/2383-2386.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period 19/07/2020 to 18/10/2020 the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
L.K. GAUTAM, Dy. Secy. (HOME-II)